

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जा इस
हुक्म की तामील म
जारी हुए

कासम बनाम श्योदान

118/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00107)

25.08.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण बाबत अपीलान्ट को कई बार फोन द्वारा सूचना दी जा चुकी है तथा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भी अपीलान्ट को सूचना दी जा चुकी है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की हिदायत पैरवी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लेकर उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2018 से तलबी में विचाराधीन है तथा अपीलान्ट की ओर से रेस्पोंडेन्ट के नोटिस पेश नहीं किये जा रहे हैं एवं अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा भी अपने रजिस्टर्ड पत्रांक दिनांक 23.01.2020 द्वारा अपीलान्ट को सूचित करने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में नोटिस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा ना ही उनकी ओर से कोई न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)

संभारणीय अधिवक्ता,

जयपुर।